

DGT-40(6)/De-affiliation/2017-TC

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

प्रथम मंजिल, पूसा कैंपस,
नई दिल्ली, दिनांक 27.07.2018

सेवा में

श्री साई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
राजगढ़, जिला - अलवर
राजस्थान,

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

इस निदेशालय द्वारा पत्र सं DGT-40(6)/De-affiliation/2017-TC दिनांक 21.06..2018 के उपरोक्त विषय पर (पत्र की प्रति संलग्न) प्रेषित किए गये पत्र का संज्ञान लें।

आपसे इस विषय के संबंध में पुनः स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय में इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर आपके संस्थान के डी-एफिलियेशन की अनुशंसा पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

रवि
(च. रवि)

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08001368)



0/2

पुनीता
भटिया

उप निदेशक (प्रशि०)

ई-मेल:- punita.bhatia@nic.in

DGT-40(6)/De-affiliation/2017-TC

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

प्रथम मंजिल, पूसा कैंपस,
नई दिल्ली, दिनांक 27.07.2018

सेवा में

श्रीमति गंगा देवी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
राजगढ़, जिला - अलवर
राजस्थान,

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

इस निदेशालय द्वारा पत्र सं DGT-40(6)/De-affiliation/2017-TC दिनांक 21.06..2018 के उपरोक्त विषय पर (पत्र की प्रति संलग्न) प्रेषित किए गये पत्र का संज्ञान लें।

आपसे इस विषय के संबंध में पुनः स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय में इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर आपके संस्थान के डी-एफिलियेशन की अनुशंसा पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

रवि
27/7/18
(च. रवि)

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR08000041)



पुनीता
27/7/18
(पुनीता भाटिया)
उप निदेशक (प्रशि०)

ई-मेल-: punita.bhatia@nic.in

DGT-40(6)/De-affiliation/2017-TC

भारतसरकार

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

प्रथम मंजिल, पूसा कैंपस,
नई दिल्ली, दिनांक 27.07.2018

सेवा में

सर्वेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
राजगढ़, जिला - अलवर
राजस्थान,

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

इस निदेशालय द्वारा पत्र सं DGT-40(6)/De-affiliation/2017-TC दिनांक 21.06..2018 के उपरोक्त विषय पर (पत्र की प्रति संलग्न) प्रेषित किए गये पत्र का संज्ञान लें।

आपसे इस विषय के संबंध में पुनः स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय में इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर आपके संस्थान के डी-एफिलियेशन की अनुशंसा पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

रवि 27/7/18
(च. रवि)

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण

ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी.एम कोड- PR08000977)

पुनीता
27/7/18
(पुनीता भाटिया)

उप निदेशक (प्रशि०)

ई-मेल-: punita.bhatia@nic.in



DGT-40(6)/De-affiliation/2017-TC

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

प्रथम मंजिल, पूसा कैंपस,
नई दिल्ली, दिनांक 27.07.2018

सेवा में

रामदेव प्राइवेट आईटीआई,
गोपल प्लाजा, नियर हदीचा बस स्टैंड,
सांचोर, जिला जालोर, राजस्थान,

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसाके बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय

इस निदेशालय द्वारा पत्र सं DGT-40(6)/De-affiliation/2017-TC दिनांक 21.06..2018 के उपरोक्त विषय पर (पत्र की प्रति संलग्न) प्रेषित किए गये पत्र का संज्ञान लें।
आपसे इस विषय के संबंध में पुनः स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये ।

आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय में इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर आपके संस्थान के डी-एफिलियेशन की अनुशंसा पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

रवि
27/7/18
(च. रवि)

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण
ई-मेल: ravi.chilukoti@gov.in

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, तकनीकी महानिदेशालय, W-6 रेसीडेंसी रोड जोधपुर-342001 (राजस्थान)
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड PU08001850, - DGT-6/20/03/2015-TC)



पुनीता
27/7/18
(पुनीता भाटिया)

उप निदेशक (प्रशि०)

ई-मेल:- punita.bhatia@nic.in